क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / क / 1101 / 646 भोपाल, दिनांक 04 / 06 / 2019

विज्ञापन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अर्न्तगत मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद वेतनमान 37400–67000+8700 ग्रेड पे लेबल–15 अंतर्गत अनुभवी अधिकारी की राज्य शासन के विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है।

उक्त पद की प्रतिनियुक्ति की शर्ते एवं अन्य विवरण वेवसाइट www.mpmandiboard.co.in पर उपलब्ध है।

मंडी बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले समकक्ष वेतनमान में नियमित सेवा के इच्छुक अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पैतृक विभाग के माध्यम से 30 जून 2019 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

बोर्ड की वेबसाईट पर फार्म

प्रपत्र–1

प्रतिनियुक्ति के लिये आवेदन पत्र

भाग–1 (संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरा जाये)

1– अधिकारी/कर्मचारी का नाम : ....

2– पदनाम : ....

3– पिता/पति का नाम : ....

4– विभाग का नाम और पूर्ण पता : ....

5– अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति पर की जाने वाली पदस्थापना के लिये सहमति (हां या नही) :......................................

6– शैक्षणिक और अन्य अर्हतां :......................................

7– किसी विषय विशेष का अनुभव (अगर हो तो) :......................................

8– जन्म तिथि :......................................

9– जाति/श्रेणी :......................................

10– सेवानिवृत्ति तिथि :......................................

11– वर्तमान पद पर कार्यरत दिनांक :......................................

12– वेतनमान तथा वर्तमान में प्राप्त मूल वेतन :......................................
किस वेतनमान में है

1. प्रथम/द्वितीय :......................................
2. क्रमोन्नत वेतनमान :......................................

13– गृह जिला/स्थाई पता

14– पिछले पॉच वर्षो से गंभीर बीमारी से पीडित न होने संबंधी जिला चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण–पत्र (मूलतः आवेदन के साथ संलग्न करें) :......................................

15– विभाग में प्रशासनिक क्षमता, तकनीक/प्रोफेशनल योग्यता, किसी कार्य में विशेष उपलब्धियां की हो तो उसका विवरण (मय के प्रमाण संलग्न करें) :......................................

सत्यापित सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम
पदमुद्रा

आवेदित, अधिकारी/कर्मचारी का नाम
कार्यालय का नाम/पता तथा हस्ताक्षर
दिनांक ....

प्रपत्र–02

भाग –2 (पैतृक विभाग द्वारा भरा जाये)

01– अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भाग–1 में भरी गयी जानकारी का सत्यापन (सत्य/असत्य) :.................................

02– विगत 03 बर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की स्थिति/श्रेणीकरण :.................................

03– सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छाया संलग्न करे :.................................

04– अधिकारी/कर्मचारी स्थायी/नियमित (स्थाई/अस्थाई) है या नहीं :.................................

05– प्रतिनियुक्ति के लिये मूल विभाग संस्था की सहमति/सहमति की अवधि :.................................

06– अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच अनुशासनात्मक कार्यवाही,आपराधिक प्रकरण, लोकायुक्त प्रकरण, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरण पंजीकृत व लंबित स्थिति, न्यायालयीन प्रकरण :.................................

07 सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति :.................................

08– विगत 03 बर्षो में गम्भीर आरोपों से दण्डित या आरोपित की स्थिति :.................................

09– पैतृक विभाग में प्रशासनीक क्षमता :.................................

10– पैतृक विभाग में तकनीकी प्रोफेशनल योग्यता :.................................

11– पैतृक विभाग में किसी कार्य विशेष उपलब्धि :.................................

12– पैतृक विभाग में लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उपलब्धियां :.................................

(पैतृक विभाग के अधिकृत प्राधिकारी का नाम/पदनाम तथा हस्ताक्षर)

विभाग की सील

दिनांक

प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिये राज्य मण्डी बोर्ड सेवा की मानक शर्तें

00:–00

01. बाह्‌ नियोजक की प्रतिनियुक्ति अवधि मण्डी बोर्ड के आदेश जारी होने के दिनांक से प्रथमतः एक वर्ष अधिकतम चार बर्ष के लिए होगी।

02. अपनी बाह्य सेवा की अवधि के दौरान् प्रतिनियुक्ति सेवक बाह्य नियोजक से वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता राज्य शासन के समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी।

03. मंडी बोर्ड सेवा के दौरान् प्रतिनियुक्ति सेवक मंडी बोर्ड से उस दर पर महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता, आदि प्राप्त कर सकेगा जो राज्य शासन के नियम अनुसार समय–समय पर देय होंगें।

04. मंडी बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने तथा वहां से वापसी के लिए की गई यात्राओं के लिए उस दर से यात्रा भत्ता दिया जावेगा जो शासन नियमों के अंतर्गत उसे देय हो। मंडी बोर्ड के कार्य के संबंध में की जाने वाली यात्राएं राज्य शासन के नियमों द्वारा विनियमित होगी।

05. प्रतिनयुक्ति सेवक को बोर्ड सेवा में उपस्थित दिनांक से और बोर्ड से वापिस भारमुक्त करने की तिथि तक का ही वेतन बोर्ड द्वारा दिया जावेगा।

06. प्रतिनियुक्ति सेवक म.प्र.शासकीय अवकाश नियम के अधीन रहेंगे। बोर्ड सेवा के दौरान् लिए गए अवकाश का वेतन बाह्य नियोजक द्वारा ही भुगतान किया जायेगा तथा बाह्य सेवा के दौरान् या उसके अंत में अवकाश अवधियों के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति भत्ते का व्यय बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।

07. मंडी बोर्ड, प्रतिनियुक्ति सेवक को उनके अधीन सेवा के दौरान् और/सेवा की समाप्ति पर किसी भी निर्योग्यता के कारण दिए गए निर्योग्यता अवकाश के संबंध में छुट्टी उपलब्धि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

08. प्रतिनियुक्ति सेवक को मंडी बोर्ड की किसी भी पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

09. प्रतिनियुक्ति सेवक को राज्य शासन के नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाएं तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जावेगा।

10. प्रतिनियुक्ति सेवक की मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति अवधि मंडी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी तथा मंडी बोर्ड से भारमुक्त किये जाने की तिथि को समाप्त होगी।

11. (अ.) मंडी बोर्ड अपने स्वामित्व का मकान आवंटित करेगा अथवा लीज पर लेकर आवास प्रतिनियुक्ति सेवक को उपलब्ध करावेगा। ऐसे भवनों को राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के मापदण्डों के अनुसार उपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा। प्रतिनियुक्ति सेवक के वेतन से उसी दर से किराया काटा जायेगा जो शासन में उस श्रेणी के भवन के लिए मूलभूत नियम 45 ए में देय है।

(ब) यदि प्रतिनियुक्ति स्थान पर प्रतिनियुक्ति सेवक या उसके परिवार का आवास गृह हो और वह उस आवास गृह अथवा मंडी बोर्ड द्वारा आवंटित/उपलब्ध कराए भवन में निवास करता हो तो उसके वेतन से म. प्र. शासन गृह (सामान्य) विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–1/231/8/दो–ए(3) दिनांक 19.02.1980 के अनुसार किराया काटा जावेगा। अगर प्रतिनियुक्ति सेवक स्वयं के आवास गृह में रहता हो तो उसे राज्य शासन के प्रावधान अनुसार आवास भत्ते की पात्रता होगी।

12. यदि प्रतिनियुक्त सेवक की मण्डी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति अवधि में मृत्यु हो जाती है तो अनुग्रह अनुदान (एक्सग्रेसिया) संबंधित के पैतृक विभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा।

13. प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिनियुक्ति सेवक का अवकाश के समर्पण व नकदीकरण की पात्रता राज्य शासन के नियमानुसार होगी।

14. पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति सेवक से प्रतिनियुक्ति की अवधि में उनके वेतन से मंडी बोर्ड, सामान्य भविष्य निधि और फैमिली बेनीफिट फण्ड/ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम के अंतर्गत काटी गई निर्धारित किश्त की राशि की वसूली कर पैतृक विभाग को भिजवायेगा। इसमें बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का अंशदान नही दिया जावेगा। प्रतिनियुक्ति सेवक को अंशदान अगर पैतृक विभाग द्वारा देय है तो उक्त राशि को पैतृक विभाग को प्रतिनियुक्ति सेवक की राशि जमा कराया जानां होगा।

15. प्रतिनियुक्ति की अवधि में मंडी बोर्ड द्वारा इन आदेशों में उल्लेखित वेतन, भत्ते तथा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा प्रतिनियुक्ति सेवक को राज्य शासन की पूर्वानुमति के नहीं देगा।

16. मंडी बोर्ड प्रतिनियुक्ति सेवक की निर्धारित अवधि के पूर्व भी प्रतिनियुक्ति सेवाये पैतृक विभाग को वापस कर सकेगा।

17. बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने के 30 दिवस में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

18 प्रतिनियुक्ति सेवक द्वारा मंडी बोर्ड में संविलियन की मांग नहीं की जावेगी अगर कोई सेवक संविलियन की मांग करता है तो उसकी सेवायें सेवा शर्त का उल्लंघन की दशा में तत्काल प्रतिनियुक्ति से वापिस की जा सकेगी।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

JAIN